

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.27(12)न्याय / 2017

25 APR 2017

जयपुर, 25 APR 2017

::आज्ञा::

दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली विभाग से संबंधित भ्रामक व नकारात्मक समाचारों की मॉनिटरिंग के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा "Online News Monitoring System" जिसका वेबएड्रेस "eclip.rajasthan.gov.in" है, बनाया गया है। विभाग के लिए कोई नकारात्मक समाचार प्रकाशन होने की स्थिती में समाचार की कतरन 11:00 बजे तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा "eclip.rajasthan.gov.in" पर अपलोड कर दी जायेगी। जिस नकारात्मक समाचार की कटिंग विभाग को प्राप्त होगी उसके संबंध में उसी दिवस में साय 4.00 बजे तक पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी "Online News Monitoring System" पर अपलोड करवाने हेतु श्री उत्तम चंद शर्मा, उप शासन सचिव (संहिताकरण), विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

*Aug 25 25.04.17*  
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
4. श्री उत्तम चंद शर्मा, उप शासन सचिव (संहिताकरण), विधि विभाग।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

*Aug 25 25.04.17*  
संयुक्त शासन सचिव  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर